

उपचारात्मक शिक्षण हेतु दिशा-निर्देश

(कक्षा 6 से 8 तक)

1. विद्यार्थियों के पहचान —

- 1.1 कक्षा 6 से 8 तक के समस्त बच्चों का बेसलाइन टेस्ट लिया जाए। इस टेस्ट में दो पेपर लिए जाए।
- 1.2 प्रश्न पेपर 2 घंटे का होगा। प्रश्न पेपर में ही उत्तर लिखने हेतु पर्याप्त स्थान दिया जाएगा। प्रश्न की सॉफ्ट कापी (सी.डी.) राज्य कार्यालय से जिलों को प्रदान की जाएगी।

2. पेपर का मूल्यांकन —

- 2.1 कक्षा 6 से 8 के पेपर का मूल्यांकन संकुल बदलकर दूसरे संकुल के शिक्षकों से कराया जाएगा।
- 2.2 पेपर के मूल्यांकनकर्ता को दो रूपए प्रति पेपर की दर से मूल्यांकन शुल्क दिया जाएगा।
- 2.3 मुल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं में से 5 प्रतिशत उत्तरपुस्तिकाओं का रेंडम रूप से पुनः मूल्यांकन कराया जाएगा। कक्षा 6 से 8 में इस कार्य हेतु संकुल प्राचार्य अथवा उनके द्वारा चिह्नांकित शिक्षक द्वारा किया जाएगा। इस हेतु भी मूल्यांकनकर्ता को दो रूपए प्रति पेपर की दर से मूल्यांकन शुल्क दिया जाएगा।
- 2.4 संस्था प्रमुख द्वारा अमूल्यांकित पेपर का पैकेट संकुल केन्द्र में जमा किया जाएगा, जिसे सीएसी द्वारा मूल्यांकन हेतु निर्धारित संकुल केन्द्र में उसी दिन पहुंचाया जाएगा।
- 2.5 उत्तरपुस्तिकाओं के 2% सेंपल चेक जिले स्तर से एवं राज्य स्तर से 1% उत्तरपुस्तिकाओं की सेंपल चेक का प्रावधान किया जाना होगा।
- 2.6 मूल्यांकन उपरांत अंक तालिका सीएसी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की जाएगी।
- 2.7 उपरोक्त संपूर्ण कार्य “परिशिष्ट” में प्रदर्शित समय—सीमा में पूर्ण करना होगा।
- 2.8 सीएसी को अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु 1000.00 रुपये मानदेय मॉनीटरिंग मद से दिया जाएगा।

3. शालावार एवं विद्यार्थीवार आकलन पत्रक बनाना —

- 3.1 बिन्दु 2 में किए गए मूल्यांकन के आधार पर जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक शाला हेतु विद्यार्थीवार जांच पत्रक तैयार कराया जाए।
- 3.2 उक्त आकलन पत्रक को बेसलाइन सर्वे के 10 से 12 दिवस के भीतर तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक शाला को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपचारात्मक शिक्षण —

- 4.1 जांच पत्रक में बच्चों के उपलब्धि स्तर के अनुरूप विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा उपचारात्मक शिक्षण कराया जाएगा। यह कार्य शाला समय से पृथक् समय एवं अवकाश के दिनों में अतिरिक्त कक्षाएं लेकर कराया जाए।

१५११२

- 4.2 प्रत्येक शाला के सभी बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण तीन माह तक कराया जाएगा।
- 4.3 जिला स्तर से विषय विशेषज्ञ पीएलसी के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं भी ली जाएंगी।
- 4.4 शालाओं में निविलर एवं टेलीप्रेविट्स का उपयोग कराया जाए। इस हेतु आई.सी.टी. योजना के तहत शालाओं में बनाए गए कम्प्यूटर लेब/स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जाए।
- 4.5 विगत सत्र में प्रदान की गई अभ्यास पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को वितरित किया जाए एवं नियमित अभ्यास कराते हुए उसकी जांच की जाए।
- 4.6 उपचारात्मक शिक्षण करने वाले शिक्षक को 50.00 रुपये प्रतिछात्र प्रतिमाह की दर से मासिक मानदेय अतिरिक्त कक्षाएं लगाए जाने पर दी जाएंगी। यह राशि एंडलाइन टेस्ट परिणाम के बाद देय होगी।
- 4.7 जितने छात्र नियमित कक्षा में प्रतिदिन किसी कक्ष विशेष में बैठकर अध्यापन करते हैं, उतने ही छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएं ली जाएंगी।
- 4.8 अतिरिक्त कक्षाओं की एप्प के माध्यम से मॉनीटरिंग भी की जा सकती है।
- 4.9 विद्यार्थियों में सामाजिकता, मानसिक, स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व के निखार हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे— इमला लेखन, श्रुति लेखन, निबंध लेखन, भाषण, वाद-विवाद, हस्तलेख प्रतिस्पर्धा, संगीत एवं नाटक आदि कराते हुए उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर भी दिया जाए।

5 शाला में इंटरनेट सुविधा –

प्रत्येक शाला को इंटरनेट की सुविधा हेतु 2500.00 रुपये प्रतिशाला वार्षिक की दर से राशि प्रदान की जाए। इस राशि से संस्था प्रमुख द्वारा भाला में ऑनलाइन कक्षा की सुविधा, टेलीप्रेविट्स, निविलर एप्प के उपयोग, वाई-फाई सुविधा आदि हेतु किया जाएगा।

6 टेलीप्रेविट्स, NICLER App, मॉनीटरिंग एवं अन्य आकस्मिक व्यय –

इस कार्य हेतु 20.00 प्रति छात्र की दर से राशि प्रदान की गई है, इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाएगा –

- 6.1 निविलयर कार्ड मुद्रण में, निविलर एप्प, टेलीप्रेविट्स, शालाओं का अकादमिक निरीक्षण, स्टेशनरी, परिवहन आदि में व्यय किया जा सकेगा।
- 6.2 प्रत्येक विकासखंड के बी.आर.सी. राशि 6000.00 रुपये की दर से मॉनीटरिंग हेतु मानदेय दिया जाए।

7 एंडलाइन टेस्ट –

बेसलाइन टेस्ट की तरह ही एंडलाइन टेस्ट कराया जाएगा।

8 अन्य –

- 8.1 उपचारात्मक शिक्षण में अकादमिक एवं तकनीकी सहयोग देने हेतु गैर शासकीय संस्था (एनजीओ) से भी निःशुल्क सहयोग लिया जा सकेगा।

- 8.2 जिले की कुछ शालाओं में पायलेट रूप में उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रस्तावित उपरोक्त योजना के अलावा अन्य एजेंसीओं को भंडार क्य नियमों का पालन करते हुए कार्य दे सकते हैं।
- 8.3 सभी प्रकार के भुगतान के लिए विभिन्न चरण एवं पैरामीटर तय किए जाए। इनसे प्राप्त परिणामों का तृतीय पक्ष मुल्यांकन उपरांत ही इस कार्य हेतु निर्धारित शुल्क किश्तों में प्रदान किया जाए।
- 8.4 उपचारात्मक शिक्षण हेतु विस्तृत कार्ययोजना पृथक से प्रेषित की जाएगी।

गोप्य
प्रबंध सचालक
समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़ रायपुर

परिशिष्ट

क्रमांक	विवरण	निर्धारित तिथि
1	कक्षा 6 से 12 तक शालावार विद्यार्थियों को सूचीबद्ध करना	20 सितम्बर 2022
2	शालावार एवं विषयवार शिक्षकों को सूचीबद्ध करना	20 सितम्बर 2022
3	बेसलाइन टेस्ट हेतु शालावार एवं कक्षावार टेस्ट पेपर की संख्या का निर्धारण	30 सितम्बर 2022
4	टेस्ट पेपर का मुद्रण	10 अक्टूबर 2022
5	टेस्ट पेपर का संकुलों को वितरण	15 अक्टूबर 2022
6	संकुल द्वारा टेस्ट पेपर का शालाओं को कक्षावार विषयवार / वितरण	16–17 अक्टूबर 2022
7	बेसलाइन टेस्ट	18–19 अक्टूबर 2022
8	बेसलाइन एवं एंडलाइन टेस्ट पेपर के मूल्यांकन हेतु दूसरे संकुल / दूसरे हाई / हायर सेकेण्डरी शालाओं का चिह्नांकन	05 अक्टूबर 2022
9	सीएसी / संस्था प्राचार्य द्वारा अमूल्यांकित टेस्ट पेपर मूल्यांकन केन्द्र तक पहुंचाना – बेसलाइन	18–20 अक्टूबर 2022
10	टेस्ट पेपर का मूल्यांकन करना – बेसलाइन	19–22 अक्टूबर 2022
11	मूल्यांकन केन्द्र द्वारा मूल्यांकन उपरांत तैयार की गई अंक तालिका जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना – बेसलाइन	23 अक्टूबर 2022
12	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शालावार एवं कक्षावार विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम परिणाम का पत्रक शालाओं को प्रदान करना – बेसलाइन	28–30 अक्टूबर 2022
13	एंडलाइन टेस्ट	01–02 फरवरी 2023
14	बेसलाइन एवं एंडलाइन टेस्ट पेपर के मूल्यांकन हेतु दूसरे संकुल / दूसरे हाई / हायर सेकेण्डरी शालाओं का चिह्नांकन	20–22 जनवरी 2023
15	सीएसी / संस्था प्राचार्य द्वारा अमूल्यांकित टेस्ट पेपर मूल्यांकन केन्द्र तक पहुंचाना – एंडलाइन	21–23 जनवरी 2023
16	टेस्ट पेपर का मूल्यांकन करना – एंडलाइन	22–25 जनवरी 2023
17	मूल्यांकन केन्द्र द्वारा मूल्यांकन उपरांत तैयार की गई अंक तालिका जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना – एंडलाइन	28 जनवरी 2023
18	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शालावार एवं कक्षावार विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम परिणाम का पत्रक शालाओं को प्रदान करना – एंडलाइन	30 जनवरी 2023
19	ऑनलाइन कक्षा हेतु विषयवार एवं कक्षावार पीएलसी का चिह्नांकन	30 सितम्बर 2022
20	उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन	01 नवम्बर 2022
21	परीक्षा तक विद्यार्थियों के लिए विशेष तैयारी सत्रों का आयोजन	—